रजिस्ट्री सं० डी०(डी०)-72 REGISTERED No. D.(D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 140] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 18, 1978/आषाढ़ 27, 1900
No. 140] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 18, 1978/ASADHA 27, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना सं० 49–आई टी सी/(पी एन)/78

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 1978

विषय : 1978-79 की आयात नीति—क्रोमोसोल एस० एफ० एवं क्रोमोलाइन सहित बेसिक क्रोम पाउडर का आयात।

मि० संख्या 1/9/आर ई पी/74-ई पी सी)—वाणिज्य विभाग की सार्वजनिक सूचना सं० 22-आई टी सी (पी एन)/78, दिनांक 3 अप्रैल, 1978 के अन्तर्गत प्रकाशित 1978-79 के लिए आयात नीति के अध्याय 21 "अन्तर्वर्ती व्यवस्थाओं" की कंडिका 209 एवं 211 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2 उपर्युक्त कडिकाओ मे की गई व्यवस्थाओ के अनुसार अप्रैल 1977-मार्च 1978 के दौरान जारी किए गए आर ई पी लाइसेंस (विशिष्टिकृत मदो की सूची के साथ या उसके बिना) और 1 अप्रैल, 1978 से पूर्व किए गए निर्यातो से सबधित 1978-79 के दौरान आयात नीति के परिशिष्ट 3 और 6 की निषेद सूचियो मे दर्शाई गई मदो के आयात के लिए जारी किए गए आरईपी लाइसेंस उस मे सकलित कुछ छूट के अधीन वैध होगे।

3 स्थिति की पुनरीक्षा करने पर यह निश्चय किया गया है कि उपर्युक्त कडिका 2 मे उल्लिखित आरईपी लाइसेंस जो कि पजीकृत निर्यातको के लिए आयात नीति की क्रम स० डी० 1 1 से डी० 1 4 के अन्तर्गत आने वाले चमडे के निर्यातको के मद्दे जारी किए गए है, वे कुल मूल्य के भीतर "क्रोमोसाल एस० एफ० और क्रोमोलाइन सहित बेसिक क्रोम पाउडर" के आयात के लिए वैध होगे ।

4 तदनुसार, 1978-79 के लिए आयात नीति के अध्याय 21 की कडिका 209 एव 211 को सशोधित किया गया समझा जाए

का० वे० शेषाद्रि, मुख्य नियत्रक।

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION

(Department of Commerce)

Public Notice No 49-ITC(PN)/78

New Delhi, the 18th July, 1978

Subject—Import Policy 1978-79—Import of Basic Chrome Powder including Chromosole S F and Chromoline

---

File No. 1/9/REP/74-EPC.—Attention is invited to paras 209 and 211 in Chapter 21 "Transitional Arrangaments" in the import policy 1978-79 published under the Department of Commerce Public Notice No 22 ITC(PN)/78 dated the 3rd April, 1978

According to the provisions made in the aforesaid paragraphs, REP licences issued during April 1977—March 1978 (with or without a list of specified items) and REP licences issued during 1978 79 pertaining to exports made prior to 1st April 1978, will not be valid for import of items appearing in the banned lists in Appendices 3 and 6 of the import policy 1978 79, subject to certain relaxations indicated.

3 On a review of the position it has been decided that REP licences referred to in paragraph 2 above which have been issued against the exports of leather falling under S No D 1 1 to D 1 4 of the import policy for Registered Exporters, will be valid, within their over-all value, for the import of "Basic Chrome Powder including Chromosole S F and Chromoline"

4 Paras 209 and 211 in Chapter 21 of the import policy 1978-79 shall be deemed to have been amended accordingly

K V SESHADRI, Chief Controller

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054. 1978

के लिए आयात-निर्यात क्रियाविधि हैण्डबुक के अध्याय 8 "पूंजीगत माल" की कंडिका 140(1) में दी गई व्यवस्थाओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिस के अनुसार पूंजीगत माल के आयात के लिए उन मामलों में आवेदनपत्र सम्बद्ध क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारियों को भेजे जाने है जिनमे आयात किए जाने वाले माल का लागत-बीमा भाड़ा मूल्य 10.00 लाख रुपए तक है ।

2. उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत जहाँ आवेदित मूल्य 10 लाख रुपए से अधिक नहीं है, वहाँ उन एककों को भी क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारियों के पास आवेदन करना है जो महानिदेशक, तकनीकी विकास की पुस्तक में दर्ज है । चंकि इस प्रयोजन के लिए महानिदेशक, तकनीकी विकास के विकेन्द्रीकरण के लिए आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्थाओ को अंतिम रुप नही दिया गया है, इसलिए यह निश्चय किया गया है कि महानिदेशक, तकनीकी विकास के ऐसे एककों के आवेदनपत्र सम्बद्ध क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारियो को भेजने के बजाए मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात को भेजे जाने चाहिएं ।

3 निर्णय लेने के बाद आवेदनपत्र सब्द्ध लाइसेंस प्राधिकारियो को जैस भी मामला हो, आयात लाइसेंस जारी करने या अन्यथा रुप से लिए गए निर्णय के अनुपालन के लिए भेज दिए जाएंगे ।

का० वे० शेषाद्रि, मुख्य नियंत्रक

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES & COOPERATION

(Department of Commerce)

Import Trade Control

Public Notice No. 50-ITC(PN)/78

New Delhi, the 18th July, 1978

Subject.—Submission of applications for import of Capital Goods by Industrial Units registered with DGTD.

File No. ITC(HB)/Chapter VIII/78-79.—Attention is invited to the provisions made in paragraph 140(1) of Chapter VIII on "Capital Goods" of the Hand Book of Import-Export Procedures, 1978-79. published under the Department of Commerce Public Notice No. 29-ITC(PN)/78 dated the 4th May, 1978, according to which applications for import of capital goods have to be made to the regional licensing authorities concerned in cases where the c.i.f. value of the goods sought to be imported is upto Rs. 10 00 lakhs.

2. Under the said provision, units borne on the books of the DGTD, New Delhi have also to apply to the regional licensing authorities concerned where the value applied for is not more than Rs 10 lakhs. Pending finalisation of necessary administrative arrangements for the decentralisation of the DGTD for the purpose, it has been decided that such applications of the DGTD units should be made to the Chief Controller of Imports & Exports, New Delhi instead of the regional licensing authorities concerned.

3. After a decision has been taken, the application will be sent to the regional licensing authority concerned for implementation of the decision by issue of import licence or otherwise, as the case may be.

K. V. SESHADRI, Chief Controller

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978